न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 65 / 2023

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 अर्जुनसिंह पुत्र दौलतसिंह जाति राजपूत निवासी चांदावतों का बास, ग्राम टालनपुर तहसील मेडता जिला नागौर। 2 मालमसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी चांदावतों की ढाणी टालनपुर तहसील मेडता जिला नागौर।		1 अर्जुनसिंह पुत्र सुल्तानसिंह 2 हेमसिंह पुत्र सुल्तानसिंह 3 माधोसिंह पुत्र सुल्तानसिंह 4 जतनकंवर पुत्री सुल्तानसिंह 5 समदंरकंवर पुत्री सुल्तानसिंह 6 नैनीकंवर पुत्री सुल्तानसिंह रामूकंवर पुत्री सुल्तानसिंह के विधिक प्रतिनिधिगण– 7 गजेन्द्रसिंह पुत्र रामूकंवर (पुत्री सुल्तानसिंह) 8 भवानीसिंह पुत्र रामूकंवर (पुत्री सुल्तानसिंह) 9 प्रेमकंवर पुत्री रामूकंवर (पुत्री सुल्तानसिंह) समस्त जाति राजपूत निवासीगण टालनपुर तहसील मेडता जिला नागौर 10 ग्राम पंचायत टालनपुर जरिये सरपंच / ग्रामसेवक।

उपस्थिति–

1 श्री शिवंचद पारीक अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से
2 श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 03, व 05 व 09 की ओर से।
3 श्री रामलाल कुवाड, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से।
4 श्री विक्रम जोशी अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 07.01.2025

1–प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत टालनपुर द्वारा संकल्प संख्या 06, मिसल संख्या 01 तारीख दायरा 10.01.1977 पट्टा संख्या 01 दिनांक 25.02.1977, से असंतुष्ट होकर दिनांक 29.09.2023 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण की निगरानी दिनांक 04.10.2023 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 व 05 तथा 09 की ओर से श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से रामलाल कुवाड तथा अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से श्री विक्रम जोशी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 06 से 08 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे। प्रार्थीगण ने अपनी निगरानी के समर्थन में पट्टा संख्या 01 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत टालनपुर के प्रमाणपत्र दिनांक 05.09.2023 की फोटोप्रति अप्रार्थी संख्या 01 से 03 व 05 तथा 09 ने फोटोग्राफ–4 प्रस्तुत किये, अप्रार्थी संख्या 10 ने ग्राम पंचायत की पत्रावली के फर्दअहकाम दिनांक 19.09.2022 से 05.09.2023 तक की फोटोप्रति, उपखण्ड अधिकारी मेडता को लिखे गये पत्र की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत टालनपुर की बैठक कार्यवाही के पत्र दिनांक 20.09.2022 की फोटोप्रति, सरपंच ग्राम पंचायत टालनपुर को प्रस्तुत जवाब की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत टालनपुर के पत्र दिनांक 13.09.2023 की फोटोप्रति, पंचायत समिति मेडता के पत्र दिनांक 21.09.2023 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड मंगवाया गया, परन्तु उन्होने अपने पत्र दिनांक 05.06.24 द्वारा रिकार्ड उपलब्ध होना नहीं बताया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– गैर निगरानीकर्ता संख्या 01 से 09 ने पट्टा संख्या 1 जो मिसल संख्या 1 तारीख दायरा 10.01.1977 के द्वारा दिनांक 25.02.1977 जारी होना बता रहे हैं, जिसकी प्रतिलिपि स्वयं गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 से 3 के द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। प्रारम्भ से ही अवैध एवं शुन्य हैं, क्योंकि कथित पटटे में वर्णित पडोस बीच की जायगा सार्वजनिक चौक व आम रास्ता की भूमि हैं, जिस पर कभी भी कोई निर्माण, रहवास गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 से 9 व उनके पूर्वज कथित सुल्तानसिंह पुत्र जसवन्तसिंह राजपूत का नहीं रहा था और सार्वजनिक चौक व आम रास्ता की भूमि का पटटा किसी भी स्थानीय निकाय द्वारा जारी ही नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत ऐसी जगह की ट्रस्टी मात्र है। कथित पटटे में वर्णित संकल्प संख्या 6 दिनांक 25.02.1977 विधि विरूद्व होने से प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

2(2)–कथित पटटे में जिस नाप एवं पडोस बीच की जायगा का विवरण दिया गया हैं, वह जायगा खुली आम चौक और रास्ते की भूमि हैं, जिस मौहल्लेवासी और ग्रामजन सार्वजनिक रूप से ओसर, मौसर, विवाह, धार्मिक उत्सव, सार्वजनिक कार्यो में बेरोकटोक उपयोग करते आ रहे हैं।

07/1/25

अपर कलक्टर, नागौर

2(3)– कथित पटटा में सुल्तानसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी टालनपुर बमोहल्ला राजपूतों का मौहल्ला का अंकन किया गया हैं, जबकि कथित जायगा जो सार्वजनिक चौक और आम रास्ते के रूप में स्थित हैं, वह चांदावतो का बास/गवाड में स्थित हैं, जिसे राजपूतों का बास कभी भी नहीं कहा जाता रहा हैं, न ही बोलचाल की भाषा में और फर्जीकारी से तैयार किये गये पट्टे में गलत रूप से राजपूतों के मौहल्ले का अंकन ग्राम पंचायत के सरपंच व पदाधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर किये गये हैं, जो प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है।

2(4)– जिस पडोस बीच की सम्पति का पटटा जारी किया जाना बताया जा रहा हैं, ऐसे पडोस बीच की भूमि पर गैर निगरानीकर्ता ख्या 1 से 09 के पूर्वज सुल्तानसिंह का कभी भी किसी भी हैसियत कोई कब्जा नहीं रहा हैं, कथित भूमि प्रारम्भ से ही खुली भूमि रही है। इस पटटे में भी काटं छांट नाप में दर्ज की गई है और कथित पटटे के संबंध में कोई पत्रावली कायम नहीं की गई, न ही राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की कोई पालना की गई हैं, न ही इस संबंध में कभी कोई नोटिस जारी किये गये हैं, न ही इस संबंध में कोई आपति विज्ञप्ति ही जारी की गई हैं, ऐसी स्थिति में राजनैतिक व धनबल के आधार पर पटटा की कार्यवाही की गई हैं, जो प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2(5)– गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 से 9 ने जुलाई 2023 के चौथे सप्ताह में मुतदाविया भूमि पर कांटो की बाड लगाकर कब्जा करने का प्रयास किया, जिसके संबंध में वह उक्त भूमि को पटटासुदा होना बता रहे है और जिसकी प्रतिलिपि गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ने उपलब्ध करवाई हैं, जिस पर ग्राम पंचायत से पटटे की प्रमाणित प्रतिलिपि व प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी गई थी, लेकिन ग्राम पंचायत ने ऐसी प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने से इन्कार कर दिया और ऐसा बताया कि पंचायत के रिकार्ड में ऐसा कोई अभिलेख नहीं है। जिससे जानकारी होते ही निगरानीकर्ता यह निगरानी प्रस्तुत कर रहे है। जुलाई के चौथे सप्ताह के पश्चात अगस्त सितम्बर के दौरान पंचायत से अभिलेख की जानकारी चाही गई थी, लेकिन सरपंच ने दिनांक 20.09.2023 को अभिलेख उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी है और लिखित में कुछ भी देने से मना कर दिया हैं, जिससे निगरानी जानकारी से मियाद शुमार मानी जाना न्याय संगत है।

3– अप्रार्थी संख्या 01 से 03, व 05 व 09 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत टालनपुर तहसील मेडता ने विधिनुसार सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करके सुल्तानसिंह के हक में पट्टा संया 1 दिनांक 25.02.1977 को जारी किया गया है व वादग्रस्त भूमि पर उक्त पटटे से पूर्व से ही पटटाधारी का निरन्तर कब्जा व निर्माण चला आ रहा है जिसकी निगरानीकर्ता को शुरू से ही जानकारी थी। इसलिए निगरानी कर्ता का यह कहना गलत है कि जुलाई 2023 में उक्त भूमि पर अप्रार्थी ने कब्जा किया, जब उन्हे जानकारी हुई, उक्त कथन पूर्णतया मिथ्या है जिसकी पुष्टि मौके के रंगीन फोटो से होती है। निगरानीकर्ता ने उचित समय के अन्तर्गत निगरानी पेश नहीं की और न ही निगरानी के पूर्व धारा 61 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत कोई अपील पंचायत समिति पेश की है। ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच ने जो भी नोटिस दिया था उसका अप्रार्थीगण ने समुचित जवाब दे दिया था तत्पश्चात उन्हें अतिक्रमी मानकर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। निगरानीकर्ता ने पट्टाधारी होने के 45 वर्ष पश्चात यह निगरानी पेश की है जो मयाद के बिन्दु पर ही खारिज होने योग्य है। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत खींवसर ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की पूरी पालना की है। ग्राम पंचायत में पट्टे से संबंधित रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना बताया, ग्राम पंचायत में रिकार्ड नहीं मिलने से यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा बनाते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की पालना नहीं की हो। उक्त पट्टा आबादी क्षेत्र पर जारी किया गया है। जिस पर पट्टा धारी का पीढियों से कब्जा है। उक्त निगरानी आपसी रंजिश से पेश की गई है जो सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2002(1) पेज 434 से 436 और आरआरटी 2013(1) पेज 134 से 169 तक नजीरे पेश की।

4– अप्रार्थी संख्या 10 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त पट्टे से संबंधित ग्राम पंचायत में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। उक्त पट्टा पूर्णतया विधि विरूद्व है। उक्त पट्टा पर अंकित पडौस में तीन तरफ रास्ता अंकित है, जिससे ज्ञात होता है कि उक्त पट्टा रास्ते पर जारी किया गया है।

5– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत टालनपुर द्वारा संकल्प संख्या 06, मिसल संख्या 01 तारीख दायरा 10.01.1977, पट्टा संख्या 01 दिनांक 25.02.1977 को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। ग्राम पंचायत टालनपुर से मूल रेकर्ड तलब किया गया जिन्होंने अपने पत्र दिनांक 05.06.24 के द्वारा उक्त पट्टे से संबंधित किसी प्रकार का रेकर्ड ग्राम

07/11/25

अपर कलक्टर, नागौर

पंचायत में उपलब्ध नहीं होना बताया। रेकर्ड के अभाव में नहीं माना जा सकता कि ग्राम पंचायत ने मिसल खोलकर पट्टाधारी से आवेदन प्राप्त कर विधिनुसार आपतियां आमंत्रित कर मौका हेतु पंच कमेटी नियुक्त कर विधिक प्रक्रिया के तहत् पट्टा जारी किया हो। क्योंकि मूल पट्टा व पट्टे से संबंधित मिसल ही ग्राम पंचायत के रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है, पट्टे से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण कोरम के साथ कोई प्रस्ताव लिया गया हो ऐसा भी रेकर्ड उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय पंचायती राज अधिनियम 1961 के नियमो की पूर्णतः पालना की हो। पट्टे पर अंकित पडौस के अनुसार पट्टे के तीन तरफ आम रास्ता है ऐसी स्थिति में पट्टे की वैधता पर संशय होता है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत टालनपुर द्वारा जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 25.02.1977, को निरस्त किया जाता है।

7– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/1/25

(चम्पालाल जीनगर)

अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर